Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Wed - 17 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 72 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत को समर्पित छबील व लंगर सेवा आयोजित

चंडीगढ़, 17 जून। शहीदों के सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की पावन शहादत तथा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय-1, चंडीगढ़ में छबील एवं छोले-कड़ाह प्रसाद के लंगर का आयोजन किया गया। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगभग पांच घंटे तक श्रद्धा एवं समर्पण भाव से संगत की सेवा करते हुए ठंडा मीठा जल, छोले और कड़ाह प्रसाद वितरित किया।

इस सेवा कार्य का नेतृत्व विशेष सचिव-कम-निदेशक पुनीत गोयल तथा उप सचिव दीपांकर गर्ग ने किया। प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली इस सेवा के दौरान शब्द-कीर्तन के माध्यम से संगत ने आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी उपस्थित रहे।

पंजाब में 1.74 लाख करोड़ का निवेश, 5.89 लाख रोजगार सृजित: स्पीकर संधवां

चंडीगढ़, 17 जून 2026। पंजाब सरकार की 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' पहल के तहत 1076 हेल्पलाइन और डोरस्टेप डिलीवरी प्रणाली राज्य में सुशासन का नया मॉडल बनकर उभरी है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था के जरिए अब तक 3.10 लाख से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जा चुकी हैं, जबकि लंबित मामलों की दर घटकर मात्र 0.33 प्रतिशत रह गई है।

नागरिक अब 1076 हेल्पलाइन, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन पोर्टल या सेवा केंद्रों के माध्यम से 437 सरकारी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षित डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर घर पहुंचकर दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करवाते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

मिड-डे मील कर्मचारियों के लंबित वेतन पर संजय टंडन का हस्तक्षेप, एक सप्ताह में भुगतान का आश्वासन

चंडीगढ़, 17 जून 2026:चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड-डे मील कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता Sanjay Tandon से मुलाकात की। कर्मचारियों ने अप्रैल और मई माह का वेतन न मिलने के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से अवगत कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें पिछले दो महीनों से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनके परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने टंडन से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को चंडीगढ़ प्रशासन और शिक्षा विभाग के समक्ष मजबूती से उठाएं, ताकि लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सके।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय टंडन ने तत्काल यू.टी. शिक्षा सचिव से बातचीत की और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। शिक्षा सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि मिड-डे मील कर्मचारियों का अप्रैल और मई माह का लंबित वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर टंडन ने कहा कि मिड-डे मील कर्मचारियों जैसे मेहनती और समर्पित कर्मियों का वेतन किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं और उनके हितों की रक्षा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा के समान वेतन और सुविधाएं देने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि चंडीगढ़ में मिड-डे मील सहायकों को केवल 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जबकि हरियाणा में यही राशि 7,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके अलावा, चंडीगढ़ में उन्हें वर्ष में केवल 10 महीने का भुगतान किया जाता है, जबकि हरियाणा में 11 महीने का मानदेय दिया जाता है।

संजय टंडन ने कर्मचारियों की इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा के समान मानदेय और 11 माह के भुगतान की मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इन मांगों को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएंगे। टंडन ने कहा कि मिड-डे मील कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें उनकी सेवाओं के अनुरूप उचित तथा समय पर पारिश्रमिक दिलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

फिरोज़पुर में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार: 5.7 किलो हेरोइन, 1.33 लाख नशीली गोलियां और 39 कारतूस सहित तीन गिरफ्तार

चंडीगढ़/फिरोज़पुर, 17 जून। पंजाब में नशा तस्करी और अवैध नार्कोटिक नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फिरोज़पुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दो अलग-अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1.33 लाख प्रतिबंधित कैप्सूल एवं गोलियां, 39 जिंदा कारतूस तथा 36,600 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनजिंदर सिंह (24) निवासी लक्खा भेडिया, जगजीत सिंह (22) निवासी मल्लांवाला और गुरदेव सिंह (55) निवासी ममदोट उत्तर, फिरोज़पुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की एक मारुति स्विफ्ट कार (पीबी-46 एपी-3255) भी जब्त की है।

डीजीपी ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है। आरोपियों के आगे-पीछे के संबंधों, वित्तीय लेन-देन और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) फिरोज़पुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पहले मामले में पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मनजिंदर सिंह और जगजीत सिंह हेरोइन तस्करी में सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दाना मंडी बस्ती वकीलां वाली के पास उनकी स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली, जहां से 5.775 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

दूसरे मामले में पुलिस को सूचना मिली कि गुरदेव सिंह गांव ममदोट में संचालित अपने मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री कर रहा है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान दुकान से 1,33,640 प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल, 36,600 रुपये नकदी तथा केएफ 7.65 कैलिबर के 39 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी तथा और बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में थाना आरिफ के में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर संख्या 72, दिनांक 16 जून 2026 दर्ज की गई है। वहीं, थाना ममदोट में बीएनएस की धारा 223 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए के तहत एफआईआर संख्या 96, दिनांक 16 जून 2026 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एमआरएसएएफपीआई के होनहार कैडिटों को 'अचीवर्स अवार्ड', नौ कैडिट बने सेना अधिकारी

चंडीगढ़/एस.ए.एस. नगर, 17 जून 2026:महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट (एमआरएसएएफपीआई) ने मंगलवार को अपने होनहार कैडिटों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने वाले तथा नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) से स्नातक हुए कैडिटों को प्रतिष्ठित 'अचीवर्स अवार्ड' से सम्मानित किया। मई और जून 2026 के दौरान संस्थान के नौ कैडिट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि पांच कैडिट हाल ही में एनडीए से स्नातक हुए हैं।

सेक्टर-77 स्थित संस्थान परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता एनडीए के पूर्व कमांडेंट एयर मार्शल टी.एस. रंधावा (सेवानिवृत्त) ने की। इस अवसर पर उन्होंने कैडिटों को बधाई देते हुए कहा कि एमआरएसएएफपीआई में मिला प्रशिक्षण उनके सैन्य करियर की मजबूत नींव साबित हुआ है। उन्होंने एनडीए स्नातकों को आगामी प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं देते हुए संस्थान की फैकल्टी की भी सराहना की।

संस्थान के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान (सेवानिवृत्त) ने बताया कि अब तक संस्थान के 324 कैडिट एनडीए और अन्य सैन्य अकादमियों के लिए चयनित हो चुके हैं, जिनमें से 196 अधिकारी के रूप में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा 24 अन्य कैडिट अपने नियुक्ति पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमआरएसएएफपीआई आज सशस्त्र सेनाओं के लिए एक प्रमुख फीडर संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है।

उन्होंने बताया कि संस्थान दो वर्षीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके अंतर्गत कैडिट 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और एनडीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। हर वर्ष लगभग 4,000 छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से केवल 48 छात्रों का चयन किया जाता है। अचीवर्स अवार्ड समारोह केवल उत्कृष्ट कैडिटों को सम्मानित करने का अवसर ही नहीं रहा |

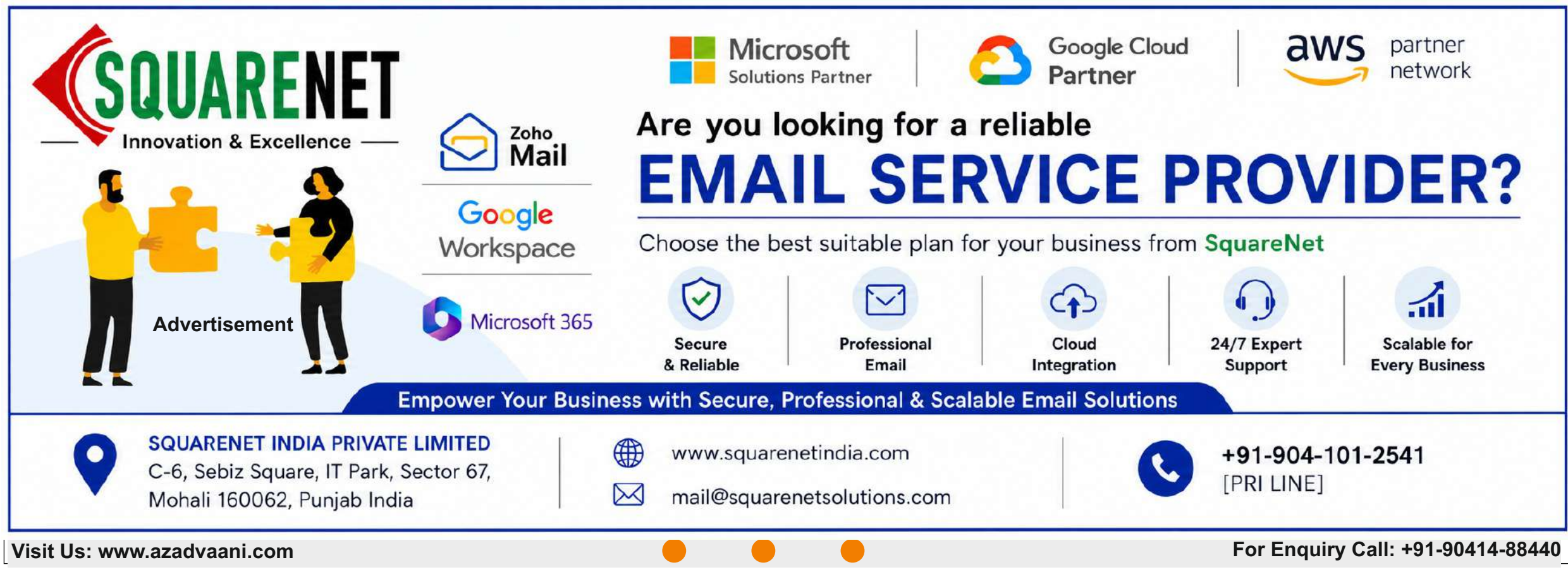

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मानसिक रोगों का कैशलेस इलाज, लोगों को मिल रही बड़ी राहत

चंडीगढ़, 17 जून।पंजाब में अब मानसिक रोगों से पीड़ित अधिक लोगों को मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बुधवार को कहा कि इस योजना का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना और इलाज में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्किजोफ्रेनिया, अवसाद (डिप्रेशन), बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जायटी, तनाव संबंधी बीमारियों और नशे की लत से जुड़ी मानसिक समस्याओं का इलाज शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी), ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (टीएमएस) तथा विभिन्न जांच सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवसाद, चिंता, स्किजोफ्रेनिया या अन्य मानसिक समस्याओं के लक्षण दिखाई देने पर इलाज में देरी न करें। समय पर उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2300 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 81 विशेष प्रक्रियाएं केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार अब तक 457 लाभार्थी इन मानसिक स्वास्थ्य पैकेजों का लाभ उठा चुके हैं और इनके इलाज पर लगभग 55 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से प्रभावित हैं। लेकिन जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और विशेषज्ञों की कमी के कारण बड़ी संख्या में मरीज समय पर इलाज नहीं करा पाते।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि "सीएम दी योगशाला" कार्यक्रम के माध्यम से योग को मानसिक स्वास्थ्य सुधारने का प्रभावी माध्यम बनाया जा रहा है। योग मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देता है। शांत मन ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है।

सिविल अस्पताल बरनाला के मनोचिकित्सक डॉ. गगनदीप सेखों ने कहा कि अब लोग मानसिक रोगों को सामान्य बीमारियों की तरह समझने लगे हैं और इलाज के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई का दबाव, नौकरी की असुरक्षा, आर्थिक तनाव, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और सामाजिक सहयोग की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग इन चुनौतियों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

मेथनॉल की बिक्री और ऑनलाइन खरीद पर सख्त केंद्रीय कानून बने: हरपाल चीमा

चंडीगढ़, 17 जून।पंजाब के वित्त एवं आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) की बिक्री, परिवहन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तत्काल सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से होने वाली त्रासदियों को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए मेथनॉल की निगरानी हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय व्यवस्था समय की मांग है।

बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) डी.के. तिवारी और आबकारी एवं कराधान आयुक्त जितेंद्र जोरवाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीमा ने कहा कि देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 90 प्रतिशत मेथनॉल का आयात विदेशों से होता है। यह विभिन्न बंदरगाहों से होकर कई राज्यों की सीमाएं पार करते हुए उद्योगों तक पहुंचता है। ऐसे में किसी एक राज्य के लिए इसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखना या उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि मेथनॉल की आवाजाही संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 के अंतर्गत अंतरराज्यीय एवं विदेशी व्यापार के दायरे में आती है, इसलिए इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाना आवश्यक है।

हरपाल चीमा ने चिंता जताते हुए कहा कि वर्तमान में मेथनॉल प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर बिना किसी सख्त नियंत्रण के उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति बिना पहचान सत्यापन, दस्तावेज या उपयोग का उद्देश्य बताए इसे खरीद सकता है। इससे राज्य की जांच एजेंसियों के लिए इसके दुरुपयोग को रोकना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिक्री को नियंत्रित करने के लिए भी केंद्रीय कानून ही प्रभावी साबित हो सकता है।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून जैसे पॉइजन्स एक्ट, 1919, पेट्रोलियम एक्ट, 1934 और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 मेथनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इनमें न तो खरीदार पंजीकरण की व्यवस्था है और न ही अंतरराज्यीय ट्रैकिंग का कोई प्रभावी तंत्र।

उन्होंने कहा कि राज्य के आबकारी कानून मुख्य रूप से एथाइल अल्कोहल के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि मेथनॉल पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया से बनने वाला रसायन है, जिसकी निगरानी के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है।हरपाल चीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को पांच प्रमुख सिफारिशें भेजी हैं।

इनमें मेथनॉल के लिए अलग केंद्रीय कानून बनाना, बंदरगाह से अंतिम उपभोक्ता तक राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना, गैर-पंजीकृत और गैर-औद्योगिक खरीदारों को ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना, अवैध शराब में इसके उपयोग पर सख्त दंड का प्रावधान करना तथा इस मुद्दे पर सभी राज्यों के आबकारी मंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाना शामिल है।

शिमला के संजौली में सनसनीखेज वारदात: स्कूल प्रशासक मीनाक्षी मित्तल की स्कूल गेट पर गोली मारकर हत्या

शिमला, 13 जून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक निजी स्कूल की प्रशासक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दलों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मृतका की पहचान मीनाक्षी मित्तल के रूप में हुई है, जो संजौली की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में प्रशासक के पद पर कार्यरत थीं। पुलिस के अनुसार शनिवार शाम करीब 7:30 बजे मीनाक्षी मित्तल स्कूल के बाहर मौजूद थीं, तभी कुछ अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने कम से कम तीन राउंड फायरिंग की। इनमें से एक गोली मीनाक्षी मित्तल के सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। वहीं, फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक नमूने जुटाए हैं।

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं तथा व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जांच एजेंसियां आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। इसके अलावा अन्य तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल सुरागों का भी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि घटना के पीछे की वजह, हमलावरों की पहचान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

इस सनसनीखेज हत्या ने शिमला जैसे शांत शहर की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी तथा दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

इसके साथ ही इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि शिमला जैसे अपेक्षाकृत शांत शहर में दिनदहाड़े अथवा सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं।उन्होंने प्रशासन से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाने तथा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है।

हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्ती: 123 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई, 31 बर्खास्त

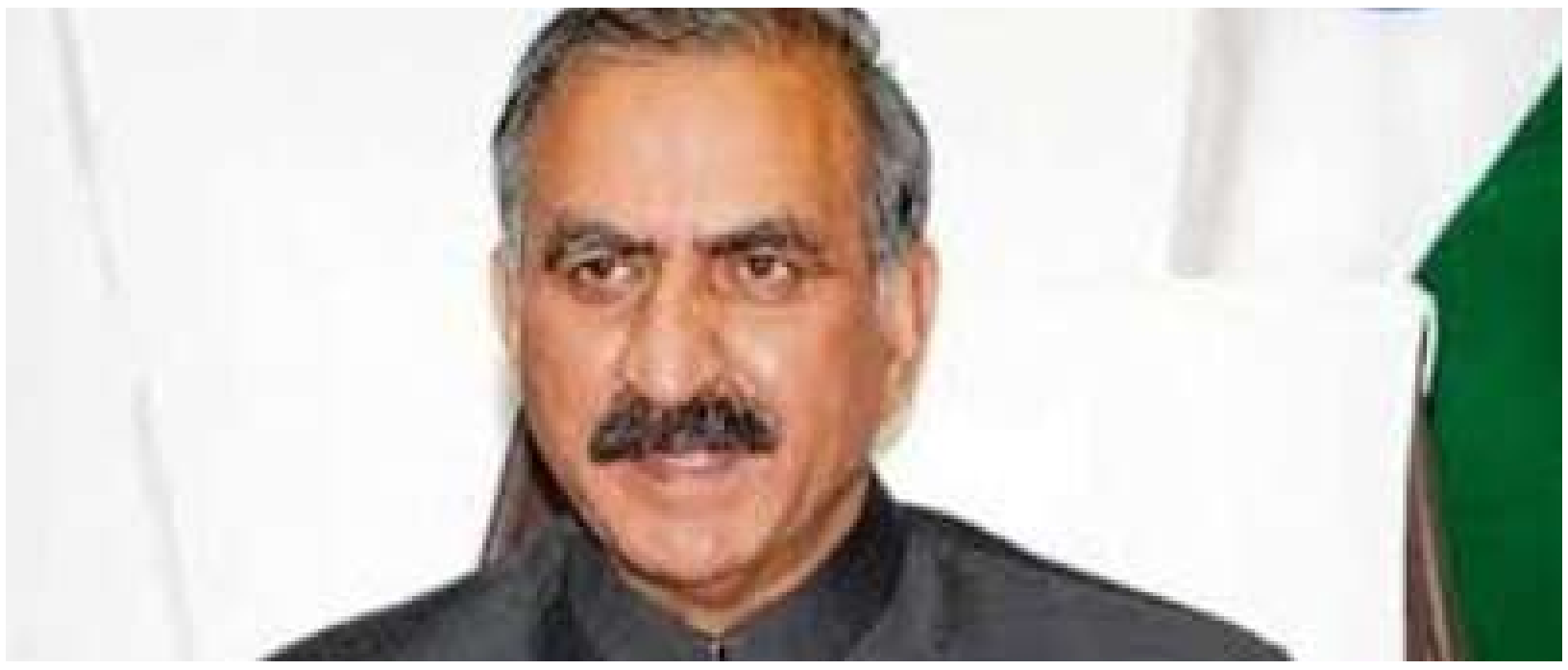

शिमला, 17 जून।हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में 123 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन 123 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें 21 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई जारी है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी कड़ा प्रहार किया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में लगभग 51 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "चिट्टा मुक्त हिमाचल" अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार न केवल तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल और जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दे रही है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन को विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए डोप टेस्ट को भी अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नशे के मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को तेज करने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दोहराया कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और उनके अभिभावकों से नशे के खिलाफ इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है, जिससे सरकार और समाज को मिलकर लड़ना होगा। सुक्खू ने कहा कि जागरूकता, पुनर्वास और सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

Advertisement

From Foundation to Finish – We Build Everything!

We specialize in high-quality construction services for: Residential Homes, Commercial Buildings Kothi & Luxury Villas, Showrooms & Shops, Flats & Apartments

WE PROMISE YOU FOR A BETTER FUTURE!

N M CONSTRUCTION
Excellence in every structure

#219 GF Maa Shimla Complex, Landran Road, Kharar, SAS Nagar, 140301, Punjab
Email: nmconstruction5151@gmail.com | Phone: +91-6009610096, 9872766841

herbegy™
Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.